न्यायालय सिविल जज, जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, छाता, मथुरा।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–177/2019
ब्रह्मानन्द **बनाम्** नेमचन्द आदि

थाना–कोसीकलां, मथुरा।

01.10.2019

पत्रावली पेश हुयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–155(2) द0प्र0सं0 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–155(2) द0प्र0सं0 प्रस्तुत कर मामले की विवेचना कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण के संबंध में थाने से आख्या आहुत की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकरण थाना हाजा पर एन0सी0आर संख्या –103/2019, धारा–506 भा0दं0सं0 के रूप में पंजीकृत है।

चूंकि थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तुत मामला थाना हाजा पर एन0सी0आर0 के रूप में पंजीकृत है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ एन0सी0आर0 की प्रति दाखिल की गयी है। अपराध प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः विवेचना के आदेश दिये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

आदेश

संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना न की जारी हो तो, अविलंब विवेचना किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से न्यायालय को यथोचित समय के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अक्षयदीप यादव)
सिविल जज, जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छाता, मथुरा।